अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: राजपत्रित/डीपीसी/2009/ 2368 दिनांक 25.9.09

1. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
2. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
3. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

विषय :– आर.पी.एस.सी. 1998 तक चयनित एवं दिनांक 01.09.06 को चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत चिकित्सको को ए.सी.पी. की स्वीकृति के सम्बन्ध मे।

———

राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक: ए.11 (7) एफ (रूल्स) 2008/पार्ट–I दिनांक 12.09.08 के तहत राजस्थान सिविल सर्विसेज (रिवाइज्ड पे) रूल्स 2008 दिनांक 01.09.06 से लागू किये गये है, जिसके तहत राजपत्रित अधिकारियो को 10, 20, 30 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने पर ए.सी.पी. (Assured Career Progression) स्वीकृति का प्रावधान किया गया है। इस सम्बन्ध मे वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 06.10.08 के बिन्दु 20 (5) के तहत चिकित्सा अधिकारियो को ए.सी.पी. स्वीकृति हेतु निम्न हस्ताक्षरकर्ता अधिकृत है। अतः आपके अधीन दिनांक 01.09.06 को चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत आर.पी.एस.सी. द्वारा वर्ष 1998 तक चयनित चिकित्सा अधिकारी के सेवा विवरण संलग्न प्रपत्र मे तैयार करवाये जावे तथा निर्धारित तिथि को संयुक्त निदेशक, जोन के कार्यालय में मय उन चिकित्सको की आज तक सत्यापित सेवा पुस्तिका व चेक लिस्ट जो कि सहायक लेखाधिकारी द्वारा प्रमाणित हो, के साथ सम्बन्धित लिपिक एवं एक अधिकारी (उप नियत्रंक/उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी स्तर के) को उपस्थित होने हेतु निर्देशित करावे।

संयुक्त निदेशक, जोन कार्यालय मे पदस्थापित सहायक लेखाधिकारी निर्धारित कार्यक्रमानुसार निदेशालय की टीम के साथ उपस्थित रहकर ए.सी.पी. के प्रकरणो के निस्तारण मे सहयोग करेगे।

निदेशालय की टीम मे निम्नांकित सदस्य होगे :–

1.	डॉ. के. एन. गुप्ता	राज्य क्षय रोग अधिकारी
2.	डॉ. आर. पी. जैन	संयुक्त निदेशक (राजपत्रित)
3.	श्री नवीन जोशी	कार्यालय सहायक
4.	श्री दिनेश कुमार माथुर	वरिष्ठ लिपिक
5.	श्री मुरली कुमार	वरिष्ठ लिपिक

उक्त टीम का निम्नांकित निर्धारित भ्रमण कार्यक्रम होगा :–

1.	संयुक्त निदेशक, जोन, जयपुर	08 व 09.10.09
2.	संयुक्त निदेशक, जोन, अजमेर	12 व 13.10.09
3.	संयुक्त निदेशक, जोन, जोधपुर	22 व 23.10.09
4.	संयुक्त निदेशक, जोन, कोटा	04 व 05.11.09
5.	संयुक्त निदेशक, जोन, उदयपुर	10 व 11.11.09

कृ. प. उ.

6. संयुक्त निदेशक, जोन, भरतपुर 16 व 17.11.09
7. संयुक्त निदेशक, जोन, बीकानेर 23 व 24.11.09

संलग्नः प्रपत्र एक।

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः राजपत्रित/डीपीसी/2009/2308 दिनांक 24.9.09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. निदेशक, ई.एस.आई., चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त प्रधानाचार्य, मेडीकल कॉलेज एवं नियत्रंक सम्बद्व चिकित्सालय।
3. निदेशक, एम. एस. यू, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रधानाचार्य, आर. एफ. पी. टी. सी, जयपुर/अजमेर।
5. अधीक्षक, कमला नेहरू क्षैत्रिय क्षय प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, अजमेर।

को भेजकर लेख है, कि उनके अधीन कार्यरत चिकित्सा अधिकारियो को ए.सी.पी. स्वीकृति हेतु उपरोक्त निर्देशानुसार संलग्न प्रपत्र मे सूचना सहित सम्बन्धित लिपिक को निर्धारित तिथि को संयुक्त निदेशक, जोन के कार्यालय मे उपस्थित होने हेतु निर्देशित करे।

6. सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को पालनार्थ।
7. कार्यालय अधीक्षक, राजपत्रित संस्थापन अनुभाग, मुख्यालय को भेजकर लेख है, कि उनके अनुभाग मे जिन चिकित्सा अधिकारियो के ए.सी.पी. स्वीकृति हेतु प्रकरण व सेवा पुस्तिका प्राप्त हुयी है, उन्हे डी.पी.सी. प्रकोष्ठ को तुंरत भिजवाये।
8. प्रभारी सरवर रूम, निक, निदेशालय को भेजकर अनुरोध है, कि इसे विभाग की बेबसाईट पर डाउनलोड करने का श्रम करे।

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान, जयपुर

ए.सी.पी. स्वीकृति हेतु प्रपत्र

वर्ष 1998 तक आर.पी.एस.सी. से चयनित चिकित्सक जो दिनांक 01.09.06 को चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत थें।

क.स.	चिकित्सक का नाम	जन्मतिथि	वर्तमान पद	पदस्थापन स्थान	एडहॉक कार्यग्रहण तिथि	आरपीएससी के आदेश कमांक व दिनांक	आरपीएससी पश्चात् कार्यग्रहण तिथि	यदि पदोन्नति हुई तो उसका वर्ष	बच्चो की सूचना 01.06.02 01.06.02 से पूर्व एवं पश्चात्

1. सेवा पुस्तिका आज दिनांक तक सत्यापित
2. ए.सी.पी. का स्टेटमेन्ट सहायक लेखाधिकारी द्वारा सत्यापित